



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 08.05.2026

## कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ ऑपरेशन कन्विकशन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरूप 04 अलग-अलग मामलों में कुल 50 हजार रुपये जुर्माने व कारावास से कराया गया दण्डित ।

**विवरण-** पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विकशन” के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरूप 04 अलग-अलग मामलों में कुल 50 हजार रुपये जुर्माने व कारावास से दण्डित कराया गया जिनका विवरण निम्न है -

### अभियोग-

1. थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0 421/10 धारा 387/325/504/506 भादवि के 04 अभियुक्तों 1. जाबिर पुत्र बसीर निवासी चमरौड़ी थाना कोतवाली नगर बांदा, 2. पप्पू पुत्र बिन्दा निवासी सुतरखाना थाना कोतवाली नगर बांदा 3. बबलू 4. गुड्डू पुत्रगण जफर निवासी गण खाईपार थाना कोतवाली नगर बांदा को 03-03 वर्ष के साधारण कारावास व कुल 28 हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।
2. थाना तिन्दवारी में पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0- 56/23 धारा 60 आबकारी अधिनियम के अभियुक्त गजराज पुत्र रामसजीवन निवासी बेंदा थाना तिन्दवारी जनपद बांदा को 05 हजार रुपये से के जुर्माने दण्डित कराया गया ।
3. थाना कोतवाली नगर में पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0- 15/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस के अभियुक्त सोनू जफरान पुत्र फिरोज निवासी पन्ना नाका थाना सिविल लाईन जनपद छतरपुर(म0प्र0) को जेल में बिताई गई अवधि के कारावास व 15 हजार रुपये से के जुर्माने दण्डित कराया गया ।
4. थाना बिसण्डा में पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0- 44/15 धारा 323/504 भादवि के 02 अभियुक्तों 1- रामनरेश पुत्र गलुआ व 2- नीलकान्त पुत्र रामनरेश निवासी निरालापुरवा थाना बिसण्डा जनपद बांदा को कुल 02 हजार रुपये से के जुर्माने दण्डित कराया गया ।